

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-5/9719/2018-19/

दिनांक 19.02.2019

59

जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा

विषय:-शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट आवंटन।
प्रसंग:-पी.एस.पी. अनुभाग की अ.टि. क्रमांक शिविरा/प्रारं/RTE/C/18882/बजट
आवंटन/17-18/93 दिनांक 18.02.2019

विषयान्तर्गत पी.एस.पी. अनुभाग की प्रासंगिक अ.टि. के क्रम में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की फालना मे राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त फीस पुनर्भरण के लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जा रहा है।

मांग संख्या-24 बजट मद-2202-01-800-14-00-57 (राज्य निधि)

क्र.स.	आफिस आई.डी.	जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. कार्यालय का नाम	आवंटित राशि हजार रूपयों में
1	1520	करौली	2000.000
2	1521	कोटा	5000.000
3	1570	श्रीगंगानगर	2000.000
4	1573	हनुमानगढ़	2000.000
		योग	11000.000

(अक्षरे रूपये एक करोड़ दस लाख मात्र)

आवंटित राशि का उपयोग इस कार्यालय के आर.टी.ई. अनुभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार नियमानुसार किया जावे।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय से प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक व 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।

मुख्य लेखाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
3. सहायक निदेशक, पी.एस.पी. अनुभाग।
4. सहायक लेखाधिकारी अंक मिलान/योजना अनुभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी